

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा-पत्र

उनवान देवकीन-दन बनाम विश्वानन्द
 किस्म मुकदमा 225 अकील संख्या 2024/203
 अभिभाषक अपीलान्त वीरेंद्र सुता शर्मा अभिभाषक रेस्पोंडेंट श्री. कृष्णलाल शर्मा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------

28.10.24 अभिभाषक अपीलान्त / रेस्पोंडेंट उपस्थित रहने हेतु समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहल दिनांक 4.11.24 को पेश हो।
(वीरेंद्र सुता शर्मा मीना)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

4.11.24 पत्रावली वास्ते बहल हेतु पेश हुई क्रिमिनाल अपीलान्त एवं रेस्पों. अनुपस्थित/ क्रिमिनाल अपीलान्त के वास्ते बहल हेतु अंतिम अदालत दिनांक 10.11.24 को पेश हो।
(वीरेंद्र सुता शर्मा मीना)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

10.11.25 पत्रावली वास्ते बहल हेतु पेश हुई क्रिमिनाल अपीलान्त एवं अपीलान्त को रकम-रकम कर तीन-तीन बार आवाजे लगायी गयी, फिर भी उसी कोर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। तब पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली वास्ते बहल फैसला है रख हेतु क्रिमिनाल अपीलान्त के न्यायालय राजा द्वारा पपटि अदालत दिने जा चुके हैं। अतः पत्रावली अदालत एजरी एवं अदालत पैरवी में खारिज हो जाती है। पत्रावली फैसला सुना होना बाद तामील तहकील-दाखिल कफतर हो।
(वीरेंद्र सुता शर्मा मीना)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

10.11.25





केविट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरण, सेटलमेन्ट,
कोटा, राजस्थान

देवकीनन्दन आयु- 65 वर्ष आत्मज श्री किशनचन्द निवासी- स्वामी
विवेकानन्द नगर, कोटा, राजस्थान —अपीलान्ट

—बनाम—

1. किशनचन्द आत्मज श्री मांगीलाल हाल मुकाम- केयर ऑफ
अवधेश कुमार, स्कूल चौक, सौरभ एजेन्सी, इटावा जिला कोटा,
राजस्थान
2. आलौकिक आत्मज श्री किशनचन्द निवासी- मानसरोवर, मेट्रो
स्टेशन के पास, फ्लेट नम्बर- 52, तृतीय फ्लोर, सिंघल एनक्लेव,
उदयनगर-बी, जयपुर राज0
3. अवधेश आत्मज श्री किशनचन्द, निवासी- स्कूल चौक, सौरभ
एजेन्सी, इटावा जिला कोटा, राजस्थान
4. गीता बाई पुत्री श्री किशनचन्द्र पत्नी विष्णुप्रसाद गुप्ता निवासी-
पंचायत समिति के पास, छबड़ा जिला बारां राजस्थान
5. हेमलता पुत्री श्री किशनचन्द्र पत्नी श्री रामेश्वर निवासी- तलाबपाड़ा
बारां जिला बारां राज0
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अन्ता जिला बारां राजस्थान
—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा- 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बनाराजगी आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 212 आर.टी.एक्ट.

बउनवानी देवकीनन्दन ---बनाम--- किशनचन्द्र

आदेश दिनांक- 19.11.2024

मान्यवर,

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ
न्यायालय में वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत खातेदार
घोषित किये जाने हेतु पेश किया कि जिसके साथ अन्तर्गत धारा-

देवकीनन्दन